रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2008/ज्येष्ठ 28, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 96] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2008/JYAISTHA 28, 1930 [N.C.T.D. No. 77

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 जून, 2008

सं. फा. 19(22)/परि./सचि./2006/491.—जबकि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के परन्तुक द्वारा यथापेक्षित इस सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 19(22)/परि./सचि./2006/287 के दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित अधिसूचना में इसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से आपत्तियों तथा सुझाव प्राप्त करने के लिए निदेशों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था;

और, जबकि, उक्त राजपत्र सर्वसाधारण को 31 मार्च, 2008 को उपलब्ध कराया गया था;

और, जबकि, तीस दिनों की उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्रारूप निदेशों के विषय में कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

इसलिए, अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 खण्ड (41) के साथ पठित धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार के दिनांक 26 मई, 2006 को जारी समसंख्यक अधिसूचना द्वारा जारी निदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली तथा दिल्ली के पंजीकरण अधिकारियों के लिए निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं, अर्थात् :–

निदेश

इस सरकार के दिनांक 26 मई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना में निदेश क्रम सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित निदेश को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"2. दिनांक 18 जून, 2008 से तीन हजार किलोग्राम तक कुल भार वाले ऐसे माल वाहन जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी यदि वे स्वच्छ ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th June, 2008

No. F. 19(22)/Tpt./Sectt./2006/491.—Whereas, the draft of the directions was published as required by the proviso to clause (ii) of sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV on the 31st March, 2008 *vide* this Government's Notification No. F. 19(22)/Tpt./Sectt./2006/287 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected, within a period of thirty days from the date of publication of said notification in the Delhi Gazette;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on 31st March, 2008;

And, whereas, no objections and suggestions were received with regard to the draft directions, within the aforesaid stipulated period of thirty days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 67 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in partial modification of the directions issued *vide* this Government's notification of even number dated the 26th May, 2006, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby issues the following directions both to the State Transport Authority, Delhi and Registering Authorities of Delhi, namely :—

DIRECTIONS

In this Government's Notification of even No. dated the 26th May, 2006, for the direction at serial number 2, the following direction shall be substituted namely :—

" 2. With effect from the 18th day of June, 2008, goods carriages having gross vehicle weight up to three thousand kilograms, registered outside the National Capital Territory of Delhi, shall not be permitted to ply in the National Capital Territory of Delhi, if they are not running on clean fuel."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.